मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

ई-मेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/नाफेड/561/3928 भोपाल, दिनांक 06/10/2023

प्रति

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय __________ (समस्त)

विषयः- भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य उपार्जन पर मंडी शुल्क एवं निराश्रित शुल्क के भुगतान से छूट के संबंध में।

संदर्भः- 1. मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का पत्र क्रमांक/AGR/10/15/2023-Sec-2-14(AGR)(P-206617)/1043-1044, दिनांक 01 सितंबर 2023।
2. मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का पत्र क्रमांक/AGR/11/0024/2022-Sec-2-14(AGR)(C.No.-99225)/1045-1046, दिनांक 01 सितंबर 2023।
3. मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना पत्र क्रमांक/2400/1065910/2023/26-2, दिनांक 14 अगस्त 2023।

भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के अंतर्गत केंद्र शासन/ राज्य शासन की एजेंसियों के द्वारा **चना, मसूर एवं सरसों तथा ग्रीष्मकालीन मूंग एवं ग्रीष्मकालीन उड़द** का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन का कार्य किया जाता है। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा मंडी शुल्क एवं निराश्रित शुल्क के भुगतान से छूट के संबंध में जारी शासनादेश तथा अधिसूचना की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। राज्य शासन के आदेश अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

अपर संचालक (नियमन)
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/नाफेड/561/3929　　　　　　　　　　भोपाल, दिनांक 06/10/2023

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, आयुक्त सह संचालक, संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल।
3. स्टेट हेड, नाफेड, भोपाल।

....

4. चीफ प्रोग्रामर, म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

अपर संचालक (नियमन)
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/AGR/10/15/2023-Sec-2-14(AGR)(P-206617)/1043 भोपाल, दिनांक 01 सितम्बर, 2023

प्रति,

1. आयुक्त,
   किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
   संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. प्रबंध संचालक,
   म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल।

विषय :- भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के अंतर्गत रबी वर्ष 2022-23 (विपणन वर्ष 2023-24) एवं आगामी 02 वर्षों में चना, मसूर एवं सरसों तथा ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी किये जाने के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत मंत्रि-परिषद आदेश आयटम क्रमांक 22 दिनांक 22 अगस्त, 2023 में निर्णय अनुरूप प्रदेश में भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के अंतर्गत रबी वर्ष 2022-23 (विपणन वर्ष 2023-24) एवं आगामी 02 वर्षो में चना, मसूर एव सरसों तथा ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी किये जाने के संबध में निम्नानुसार निर्णय लिए गए -

1. प्रदेश में रबी वर्ष 2022-23 (विपणन वर्ष 2023-24) में भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत प्रदाय किया गया लक्ष्य चना- 7,97,878 मेट्रिक टन, मसूर- 1,57,038 मेट्रिक टन एव सरसों- 4,81,615 मेट्रिक टन का अनुमोदन किया जाता है।
2. भारत सरकार से उपार्जन हेतु खरीफ/रबी/ग्रीष्मकालीन वर्ष 2022-23 (विपणन वर्ष 2023-24), वर्ष 2023-24 (विपणन वर्ष 2024-25), वर्ष 2024-25 (विपणन वर्ष 2025-26) में प्राप्त लक्ष्य सीमा में उपार्जन किए जाने की अनुमति दी जाती है एवं प्राप्त लक्ष्य से अधिक उपार्जन की स्थिति मे प्रशासकीय विभाग तत्समय वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त कर समन्वय में यथा आवश्यक आदेश प्राप्त करेगा।
3. उपरोक्त उपार्जन कार्य प्रदेश में राज्य उपार्जन एजेंसी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किया जावे।
4. इस प्रकार चना, मसूर एवं सरसों के लिए रूपये 1540 करोड़ एवं ग्रीष्मकालीन मूंग एव उड़द के लिए रूपये 2395 करोड़ कुल रूपये 3935 करोड की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराई जावे।

01/09/2023

5 दलहन/तिलहन उपार्जन में खरीफ/रबी/ग्रीष्मकालीन फसल हेतु वर्ष 2022-23 (विपणन वर्ष 2023-24), वर्ष 2023-24 (विपणन वर्ष 2024-25), वर्ष 2024-25 (विपणन वर्ष 2025-26) में मंडी शुल्क एवं निराश्रित शुल्क के भुगतान पर छूट प्रदान किया जावे।

6 योजना अंतर्गत प्रशासकीय व्यय 02 प्रतिशत रखा जावे।

7 योजना में परिवर्तन/संशोधन प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से समन्वय में आदेश प्राप्त कर किया जावे।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(अशोक बर्णवाल)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ.क्रमांक/AGR/10/15/2023-Sec-2-14(AGR)(P-206617)/1044 भोपाल, दिनांक 01 सितम्बर, 2023

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
3. उप सचिव, म.प्र.शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. स्टॉफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
5. स्टॉफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सहकारिता/खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
8. सचिव, भारत सरकार, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
9. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01/09/2023
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

PUD-02

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/AGR/11/0024/2022-Sec-2-14 (C no 99225) /1045 भोपाल, दिनांक 01 सितम्बर, 2023

प्रति,

1 आयुक्त,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
संचालनालय, म.प्र. भोपाल।

2. प्रबंध संचालक,
म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल।

विषय :- भारत सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) अंतर्गत प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) में रबी वर्ष 2021-22 (विपणन वर्ष 2022-23) में चना, मसूर एवं सरसों उपार्जन के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत मंत्रि-परिषद आदेश आयटम क्रमांक 21 दिनांक 22 अगस्त, 2023 में निर्णय अनुरूप प्रदेश में भारत सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) अंतर्गत प्राईस सपोर्ट स्कीम (PSS) में रबी वर्ष 2021-22 (विपणन वर्ष 2022-23) में चना, मसूर एवं सरसों उपार्जन के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिए गए -

1. प्रदेश में रबी वर्ष 2021-22 (रबी विपणन वर्ष 2022-23) में प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत चना, मसूर एवं सरसों उपार्जन हेतु विभाग द्वारा जारी उपार्जन नीति पत्र क्रमांक 99225 दिनांक 15 मार्च, 2022 एवं समय-समय पर जारी पत्रों का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।
2. प्रदेश में रबी 2021-22 (रबी विपणन वर्ष 2022-23) में प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चना हेतु 871100 मेट्रिक टन एवं मसूर हेतु 167130 मेट्रिक टन तथा सरसों हेतु 348935 मेट्रिक टन के नियत उपार्जन लक्ष्य के भीतर चना 801662.86 मेट्रिक टन का उपार्जन राज्य उपार्जन एजेंसी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किया गया है, जिसका कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।
3. भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम गाईडलाईन अनुसार उपार्जन कार्य में उपार्जन संस्थाओं द्वारा वहन किये जाने वाले व्ययों की भारत सरकार/केन्द्रीय एजेन्सी नेफेड से अपूरित राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा वास्तविक आधार पर वित्त विभाग की स्वीकृति अनुसार उपार्जन एजेन्सी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को "मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना" से किया जावे।
4. रबी वर्ष 2021-22 (विपणन वर्ष 2022-23) में चना, मसूर एवं सरसों के पी.एस.एस. ऑपरेशन में (Procurement transportation/warehousing/sale etc.) पर मंडी शुल्क में छूट प्रदान किया जावे।

14/09/23

01/09/2023

5. वित्त विभाग के अभिमत अनुसार विभाग स्तर पर ही कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता मे अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, सहकारिता एवं वित्त विभाग की समिति द्वारा उपार्जन हेतु प्रावधानिक आर्थिक लागत निर्धारित की जावे।

6. उपार्जन हेतु अग्रिम राशि/निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति राज्य उपार्जन एजेन्सी को उनके प्रस्ताव पर वित्त विभाग के अभिमत अनुसार उपलब्ध कराई जावे।

7. योजनातर्गत प्रशासकीय व्यय 2 प्रतिशत रखा जावे, जिसे विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर व्यय किया जावे।

8. योजना में परिवर्तन/संशोधन प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से समन्वय में आदेश प्राप्त कर किया जावे।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(अशोक बर्णवाल)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ.क्रमांक/AGR/11/0024/2022-Sec-2-14 (C.no.99225)/1046 भोपाल, दिनांक 01 सितम्बर, 2023

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
3. उप सचिव, म.प्र.शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. स्टॉफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
5. स्टॉफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सहकारिता/खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल। .
8. सचिव, भारत सरकार, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
9. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01/09/2023
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// अधिसूचना //

भोपाल दिनांक 14 अगस्त 2023

क्रमांक 2400/1065910/2023/26-2 मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) की धारा 5-ख के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतदद्वारा, केन्द्र राज्य शासन की संस्थाओं द्वारा "प्राईस सपोर्ट स्कीम" के अंतर्गत अधिसूचित कृषि उपज का प्रदेश के कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने पर मण्डी शुल्क की छूट लागू होते ही, उसके साथ ही निराश्रित शुल्क के भुगतान पर भी छूट प्रदान की जाती है।

प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत वर्ष 2022 (विपणन मौसम 2022-23) में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित, ग्रीष्मकालीन मूँग और ग्रीष्मकालीन उड़द पर भी निराश्रित शुल्क में छूट लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक 2400/1065910/2023/26-2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 14 अगस्त 2023 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार के एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय भोपाल

Government of Madhya Pradesh

Social Justice & Empowerment

Of Persons with Disabilities Department

Mantralaya, Vallabh Bhawan Bhopal

//Notification//

Bhopal. Dated 14 August 2023

No. 2400/1065910/2023/26-2 .... In exercise of the powers conferred under Section 5-B of Madhya Pradesh Nirashrit Avam Nirdhan Vyaktiyo ki Sahayta Adhiniyam 1970 (No. 12 of 1970), the State Government hereby declares that notified agriculture produce under "Price Support Scheme" by Central and State Government institutions, as soon as the market fee exemption is applicable for procuring the production from the farmers of the State at the minimum support price, along with it exemption shall also be given on payment of fee

Under the Price Support Scheme of 2022 (marketing season 2022-2023), summer moong and Summer Urad acquired at the minimum support price, will also be exempted from the duty.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh

Deputy Secretary

Government of Madhya Pradesh

Social Justice & Empowerment

Of Persons with Disabilities Department

Mantralaya, Bhopal